न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 166/2023

1. सुखदेव पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी कल्याणीपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. हरिराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी कल्याणीपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवर सिंह पुत्र उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी गुदली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. हिम्मत सिंह पुत्र पुत्र उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी गुदली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. किशन सिंह पुत्र राम सिंह जाति राजपूत निवासी गुदली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. गोपाल सिंह पुत्र राम सिंह जाति राजपूत निवासी गुदली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. शम्भू सिंह पुत्र राम सिंह जाति राजपूत निवासी गुदली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
6. कानाराम पुत्र लादिया जाति जाट निवासी गुदली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
7. जयराम पुत्र लादिया जाति जाट निवासी गुदली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
8. नाथू पुत्र बोदू जाति जाट निवासी गुदली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
9. जितेन्द्र पुत्र नोरत जाति जाट निवासी गुदली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
10. नोसर पुत्री मादिया पत्नि लक्ष्मण घासल जाति जाट निवासी गुदली हाल चौकी की ढाणी सुरसुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
11. पांचूराम पुत्र मादिया जाति जाट निवासी गुदली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
12. भंवर लाल पुत्र लादिया जाति जाट निवासी गुदली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
13. मिठ्ठू पुत्र बोदू जाति जाट निवासी गुदली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
14. रामचन्द्र पुत्र लादिया जाति जाट निवासी गुदली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
15. रामलाल पुत्र लादिया जाति जाट निवासी गुदली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
16. लक्ष्मण पुत्र बोदू जाति जाट निवासी गुदली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
17. श्रवण पुत्र लादिया जाति जाट निवासी गुदली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
18. सोराम पुत्र मादिया जाति जाट निवासी गुदली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
19. हजारी पुत्र लादिया जाति जाट निवासी गुदली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

20. हरिराम पुत्र मादिया जाति जाट निवासी गुदली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
21. नोरती पत्नि नोरत जाति जाट निवासी गुदली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
22. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
23. सरपंच ग्राम पंचायत रलवाता तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

दिनांकः 13/05/24

उपस्थितः महावीर मालाकार प्रार्थीगण अभिभाषक

अप्रार्थीगण

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री महावीर मालाकार के माध्यम से अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि ग्राम गुदली स्थित ख0नं0 117/64 व ख0नं0 118/64 कुल रकबा 4.0450 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी काश्त की भूमि है। प्रार्थीगण की भूमि के लगते हुए दक्षिण दिशा की तरफ ख0नं0 62 व 64 है जिसके अप्रार्थी संख्या 1 से 5 खातेदार काश्तकार है तथा जमाबन्दी में दर्ज खातेदार उमेश सिंह फौत हो गया जिसके अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वारिस है, तोफ कंवर फौत हो चुकी है जिसके अप्रार्थी संख्या 1 से 5 वारिस है व नारायण सिंह फौत हो चुका है जिसके अप्रार्थी संख्या 1 से 5 वारिसान खातेदार है तथा ख0नं0 117/64 व ख0नं0 118/64 के पास ख0नं0 85 व 84 चरागाह खलियान व ख0नं0 53, 54 आबादी भूमि में रास्ता है तथा ग्राम पंचायत को मात्र आवश्यक पक्षकार बनाया गया है क्योकि भूमि ख0नं0 84, 85, 53, 54 की भूमि प्रार्थीगण की जमीन के पास है तथा पूर्व में किये गये सीमाज्ञान को ख0नं0 60 व 59 के खातेदार नहीं मानते है और वाद विवाद करते रहते है। अप्रार्थीगण की भूमि के लगते हुए ख0नं0 56, 57, 58, 59 व 60 लगते हुए उत्तर की और ख0नं0 58 स्थित है जिसके अप्रार्थी संख्या 6 से 21 खातेदार है जिसमें नोरत पुत्र मादिया फौत हो गए है जिसके वारिस अप्रार्थी सं0 9 से 21 है। प्रार्थीगण की भूमि की पत्थर गंढ़ी नहीं होने के कारण उक्त अप्रार्थीगण आए दिन प्रार्थीगण से वाद विवाद करते रहते है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थीगण ने जरिये तहसीलदार व पटवारी हल्का गुदली ने दिनांक 08.06.2021 को प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान किया गया जिस पर प्रार्थीगण की भूमि के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में भूमि का अन्तर आया जिससे अप्रार्थीगण को अवगत करवाया गया जिस पर अप्रार्थीगण ने उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किये तथा उक्त सीमाज्ञान को नहीं माने। दिनांक 08.06.2023 को हल्का पटवारी द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि के ख0नं0 58 व 59 का सीमाज्ञान किया गया था जिसमें अप्रार्थीगण की भूमि प्रार्थीगण की उत्तरी पूर्वी भाग की तरफ अधिक पाई गई जिस पर भी अप्रार्थीगण ने उक्त सीमाज्ञान को नही मानकर वाद विवाद किया तथा दिनांक 02.06.2023 को अप्रार्थीगण ने धमकी दी कि तुम्हारी उक्त भूमि को हम वापस नहीं देंगे तथा तुम्हारी भूमि हमारे पास आ गई है व तुम कितने भी सीमाज्ञान करवा लो हम उक्त सीमाज्ञान रिपोर्टो को नहीं मानते है जिससे वाद कारण वाद विवाद बढा जो कि निरन्तर जारी है इसलिये प्रार्थीगण की भूमि पर पत्थरगढ़ी करना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि ग्राम गुदली स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 117/64 व ख0नं0 118/64 रकबा 4.0450 हैक्टेयर भूमि का जरिये तहसीलदार किशनगढ से नाप चौप करवा कर पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान किये जावे।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (**Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4**) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 6 लगायत 21 व 23 के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई व अप्रार्थी सं0 22 पेरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर उनका जवाब बन्द किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा जबाव पेश किया गया

3.1 अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा अपना जबाव पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि का नाप चोप कर पत्थरगढ़ी कर दी जावे तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि का अप्रार्थीगण की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। किन्तु इसके बाद भी आये दिन प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण द्वारा एतराज व विवाद उत्पन्न किया जाता है, इसलिये प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं पर पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक है। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

खातेदारी की भूमि के चारों तरफ मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु आदेश प्रदान करे।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। ग्राम गुदली स्थित ख0नं0 117/64 व ख0नं0 118/64 कुल रकबा 4.0450 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि है। सलंग्न राजस्व मानचित्र नक्शा में ख0नं0 117/64 व ख0नं0 118/64 कुल रकबा 4.0450 हैक्टेयर का स्पष्ट अंकन है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन एवं उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को 2000/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर ग्राम गुदली स्थित ख0नं0 117/64 व ख0नं0 118/64 कुल रकबा 4.0450 हैक्टेयर भूमि का राजस्व मानचित्र/जमाबन्दी में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार सम्बन्धित पक्षकारान् की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा कराने पर पालना हेतु तहरीर जारी होवे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 13/08/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)